

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 -  
प्रेषक



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2017/3669

दिनांक 12.1.12/2017

सेवा में,

प्रबन्धक,  
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, रहमत नगर, मानीराम, गोरखपुर।

विषय- चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 23.11.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	नीतू राय	श्री योगेन्द्र राय	05-07-1983	प्रवक्ता, बी०एड०
2	बबलू कुमार यादव	श्री लल्लन यादव	16-06-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
3	सीमा गुप्ता	श्री वंशीधर गुप्ता	07-12-1979	प्रवक्ता, बी०एड०
4	कुशल पाल यादव	श्री सत्य पाल यादव	09-09-1984	प्रवक्ता, बी०एड०
5	योगेश सिंह	श्री सुखवीर सिंह	19-07-1986	प्रवक्ता, बी०एड०
6	शिवलाल यादव	श्री मूलचन्द यादव	15-04-1980	प्रवक्ता, बी०एड०
7	आलोक रंजन	श्री सतगुर प्रसाद	18-12-1986	प्रवक्ता, बी०एड०
8	श्री सन्तोष कुमार	श्री भागीरथी	15-03-1987	प्रवक्ता, बी०एड०
9	जयकरन सिंह (अनु०जा०)	श्री गुलवीर सिंह	11-11-1985	प्रवक्ता, बी०एड०
10	श्री संजीव कुमार	श्री महावीर सिंह	14-07-1981	प्रवक्ता, बी०एड०
11	माधवी चौधरी	बलदेव चौधरी	25-08-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
12	विजय लक्ष्मी	गोपाल जी गुप्ता	28-01-1994	प्रवक्ता, बी०एड०
13	प्रतिभा यादव	ओम प्रकाश यादव	12-12-1984	प्रवक्ता, बी०एड०
14	अरुण कुमार यादव	श्री राम राज यादव	15-10-1982	प्रवक्ता, बी०एड०
15	हवलदार राम (अनु०जा०)	श्री शिव दत्त राम	20-07-1981	प्रवक्ता, बी०एड०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त सनरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,  
  
प्रभारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)